तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13.12.21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत जिम्वास मे पेश हुई अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.प. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

ीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

ा संख्या :- 15/21 प्रा-पत्र

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

श्री गोविन्द s/o मांगू ढोली निवासी- जिन्द्रास तहसील- माण्डल (भीलवाड़ा) --प्रार्थी

बनाम

ुष्कर s/o कना ढोली निवासी- जिन्द्रास तहसील- माण्डल (भीलवाड़ा) --विपक्षीगण (प्रसंशोधित प्रा-पत्र संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश:: दिनांक 13.12.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर किया कि ग्राम......जिन्द्रास......पटवार हल्का......जिन्द्रास......तहसील मांडल/में उसके संयुक्त खातों की आराजी नं......1817/123......कुल किता ......01...... ......0.60......हेक्टेयर......—......स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी ावा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक......22-1-21......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का ारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......जिन्द्रास...... हल्का......जिन्द्रास......तहसील मांडल में स्थित आराजी नं......1817/123...... ......—...... ......कुल किता......01......रकबा......0.60......हेक्टेयर...... े चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । ढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक......भगवानपुरा......को ......500-/-...... कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस ... मौके पर जमा करावें । ार फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके ... रखते हुए मुस्तकील ो आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी ... जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

ि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की ालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021